

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 135/2022

बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी
महेश गुप्ता



...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री गिराज मिनरल्स (अप्रार्थी ऋणी)
पता- प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास
बापी तहसील दौसा जिला दौसा राज0
2. श्री यतेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हिम्मतपाल सिंह (भागीदार एवं जमानतदार)
पता-(1) प्रतीक विहार कॉलोनी, मिडवे के पास, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
राज0
(2) प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास बापी
तहसील दौसा जिला दौसा राज0
3. श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नि श्री यतेन्द्र पाल सिंह (भागीदार एवं जमानतदार)
पता-(1) प्रतीक विहार कॉलोनी, मिडवे के पास, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
राज0
(2) प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास बापी
तहसील दौसा जिला दौसा राज0
4. श्री रिशव शर्मा पुत्र श्री सतीश चंद शर्मा (भागीदार एवं जमानतदार)
पता-(1) मिश्रा भवन, श्री रामकरण जोशी स्कूल के सामने, लालसोट रोड दौसा
तहसील दौसा जिला दौसा राज0
(2) प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास बापी
तहसील दौसा जिला दौसा राज0
5. श्रीमती इन्द्रा शर्मा पत्नि श्री सतीश चंद शर्मा (भागीदार एवं जमानतदार)
पता-(1) मिश्रा भवन, श्री रामकरण जोशी स्कूल के सामने, लालसोट रोड दौसा
तहसील दौसा जिला दौसा राज0
(2) प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास बापी
तहसील दौसा जिला दौसा राज0

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी
बाबत।

उपस्थित : श्री जगत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 30.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा
आगरा रोड दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 1,11,00,000/- (रूपये एक करोड़ ग्यारह
लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय
ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में
हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल

जिला कलेक्टर, दौसा


.....निरंतर 2 पर

रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई गैसर्स गिराज मिनरल्स जरिये भागीदार श्री यतेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हिम्मतपाल सिंह, श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नि श्री यतेन्द्र पाल सिंह, श्री रिशव शर्मा पुत्र श्री सतीश चंद शर्मा, श्रीमती इन्द्रा शर्मा पत्नि श्री सतीश चन्द्र शर्मा प्लॉट नंबर 89-90, खसरा नंबर 186-187, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया के पास ग्राम बापी, तहसील दौसा जिला दौसा राज. स्थित आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 2470 वर्गमीटर तथा हाईपोथिकेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एंड फ्यूचर, वर्क इन प्रोसेस, गुडस, स्टोन्स, क्वार्टर्स पाउडर, ऑल द प्रजेन्ट एंड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज, एसेसरीज, मशीनरी एंड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फीचर्स एंड फीटिंग्स आदि, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा